न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलास श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 42/2022

1—सहाबुद्दीन पुत्र रहमत जाति मेव निवासी ग्राम परेही तहसील कामां जिला भरतपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (भरतपुर) राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक :— 13.02.2023

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है। कि प्रार्थी के सभी दस्तावेजों जैस आधार कार्ड पहचान पत्र, राशन कार्ड जन आधार आदि मे सहाबुद्दीन पुत्र रहमत है किन्तु जमाबन्दी के सभी खाता संख्या 294 में खसरा नम्बर 125, 127 खाता संख्या 191 की खसरा नम्बर 303, 308 खाता संख्या 8 की खसरा नं0 318,व खाता संख्या 193 की खसरा नम्बर 757./324 में सहाबू पुत्र रहमत जाति मेव निवासी परेही है जबकि अन्य दस्तावेजों के आधारपर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहाबू के स्थान पर सहाबुद्दीन करना चाहता है । जिससे प्रार्थी को अपने दस्तावेजों सम्बन्धी कार्यों में सरलता मिल सके । इसलिए संशोधन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है । जिससे कि दस्तावेजी कार्य कराने में कठिनाई न हो ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र की मद संख्या 1 के संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार कामां ने अपने पत्रांक/एल.आर./2023/159 दिनांक 27.01.2023 द्वारा जबाव पेश किया कि पटवारी हल्का उचेडा के द्वारा ग्राम परेही में मौके पर पहुच कर उपस्थित व्यक्तियों से सही नाम सहाबुद्दीन है तथा सहाबू पुत्र रहमत व सहाबुददीन पुत्र रहमत एक ही व्यक्ति है ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2074—77,आधार कार्ड प्रस्तुत किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण में बहस प्रार्थीयान की सुनी गयी । तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का मनन किया प्रार्थी का नाम सहाबुद्दीन जो सही उसको जमाबन्दी सं0 2074—77 में सहाबु पुत्र रहमत जो सहवन से गलत नाम लिख दिया गया है । जिसे तहसीलदार कामा की रिपोर्ट मुताबिक शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः आदेश है कि अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी का नाम जमाबन्दी रिकार्ड में सहाबू के स्थान

शहाबुद्दीन शुद्ध किया जाता है । तहसीलदार कामां को पालना के लिए पत्र लिखा जावे । प्रकरण कैफियत शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय पढ़कर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०